सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024* *Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 20, 2024

संख्या प. 2(47) वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन -भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है ;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 29, उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन(Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है ;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये गये है ;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारो की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवश्यक है, परन्तु चुँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुँचाने की आशंका है ;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर /असिस्टेन्ट फोरेस्टर सेटलमेन्ट आफिसर को पूवोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारो की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्षय उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण मे राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेतर अनुसरण मे यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रकिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार योगी,

शासन उप सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	
1	भैंसलाना	किशनगढ रेनवाल-	जयपुर	उत्तर- सीमा ग्राम ज्याणियों का बास (रक्षित वनखण्ड भैंसलाना प्लान्टेशन) पूर्व- ग्राम डोगीवालोकाबास के खसरा नम्बर 849/1,849/2,849/3,849/4,849/5 एवं सीमा ग्राम भैंसलाना दक्षिण- ग्राम डोगीवालोकाबास के खसरा नम्बर **852,851/1**एवं **851/2** पश्चिम ग्राम डोगीवालोकाबास के खसरा नम्बर 845 एवं 870	ग्राम डोगीवालोकाबास	
					हाल ख.नं.	क्षे0 (है0)
					(1) 846 (2) 847 (3) 848 (4) 850	13.3658 3.2245 4.2740 1.4668
योग						**22.3311 है0**

(पृथ्वीराज मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बस्सी

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक
जयपुर

द्वितीय अनुसूची

क्रं.सं	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia tortilis	अकेशिया टोर्टलिस
2	Ficus glomerata	गूलर
3	Prosopis cineraria	खेजडी
4	Acacia nilotica	बबूल
5	Azadirachta indica	नीम
6	Zizyphus nummularia	झाड़ी बेर
7	Acacia leucophloea	रोंझ
8	Tecomella undulata	रोहिड़ा

(पृथ्वीराज मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बस्सी

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक
जयपुर

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,द्वारा प्रमाण-पत्र

वन खण्ड :- भैंसलाना (22.3311 है0)
नाम रेंज :- दूदू
वन मण्डल :- जयपुर

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि एफ.सी.ए.प्रकरण **Diversion of Forest Land in Rajasthan for Laying of Mahesana to Bhatinda Natural gas Pipe Line to GSPL India Gas Net LTD. (Final Sancation of GOI Ltr. No & Date- P No.8B/Raj/09/14/2014/FC/326 Date 07.10.2016)** में विभाग को प्राप्त हुयी है। जिसका वर्गीकरण क्रमश- बारानी 1 है। बारानी 1 वन भूमि जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र में विकास कार्य कराया गया है।/कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।

1. वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में प्लांटेशन किया गया है । इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों में रोंझ, देषी बबूल, टोर्टलीस इत्यादि कॉटेदार वृक्ष है तथा कुछ क्षेत्रों में घनत्व नगण्य है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र बंजर/राजस्व भूमि (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) खातेदारी भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
5. वनखण्डों के वॉछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही इंगित किया गया हैं।
6. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्ति के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।
7. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

(पृथ्वीराज मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बस्सी

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक
जयपुर

Government Central Press, Jaipur.